न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 156/2020

1. अब्दुल वाहीद पुत्र अब्दुल गनी जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. हसमत अली पुत्र अब्दुल गनी जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मोहम्मद इस्माईल पुत्र अब्दुल गनी जाति व्यापारी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

आवेदकगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 16.08.2023

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ढ़ाणी बाघा पड़तान पटवार हल्का गोखरी की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 189 तादादी 19 बीधा 9 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 137 रकबा 0.08 है0, ख0न0 138 रकबा 0.05 है0, ख0न0 139 रकबा 2. 86 है0, ख0न0 166 रकबा 1.87 है0, ख0न0 167 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.92 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जो उन्हें अपने पिता अब्दुल गनी पुत्र नूरा से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है तथा अब प्रार्थीगण व उनके भाई अब्दुल मजीद व अब्दुल जब्बार के वारिसान संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा रहा है। सम्वत 2012 में जब प्रथम जमाबंदी बनी तब जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम गनी पुत्र नूरा दर्ज है लेकिन उसके बाद सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम गनी पुत्र नूरा की जगह महमूद पुत्र नूरा दर्ज हो गया जो कि वर्तमान तक चला आ रहा है।प्रार्थीगण के पिता का सही नाम अब्दुल गनी पुत्र नूरा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई जब्बार व अब्दुल मजीद के नाम के आगे पिता का नाम महमूद की जगह अब्दुल गनी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया।

अनावेदकगण संख्या 1 तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.09.2021 में दस्तावेज के अभाव में जांच किया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण खारीज करना उचित बताया है साथ ही अपनी रिपोर्ट क्रमांक 228 दिनांक 07.02.2023 में सह खातेदारान को सुना जाना उचित बताया है। प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रति पेश की तथा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य का अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई जब्बार व अब्दुल मजीद के नाम के आगे पिता का नाम महमूद की जगह अब्दुल गनी दर्ज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम महमूद के स्थान पर अब्दुल गनी करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढ़ाणी बाघा पड़तान स्थित जमीन ख0न0 137, 138, 139, 166, 167 कुल किता 5 कुल रकबा 4.92 है0 में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के भाई जब्बार व अब्दुल मजीद के नाम के आगे पिता का नाम महमूद की जगह अब्दुल गन्नी दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर